न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 56/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/228

अनवान्

1. श्री भंवरसिंह पिता अमरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओनाड़सिंह पिता मोहब्बतसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती चन्द्रकुंवर पत्नी सोहनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती चन्दाबाई पुत्री जोधसिंह जी पत्नी मानसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मादरेचो का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री चेनसिंह पिता मोहब्बतसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सांवरिया का वेला, जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्री चमनसिंह पिता जोधसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती छगनबाई पुत्री जोधसिंह जी पत्नी नवलसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मादरेचो का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्री मनोहरसिंह पिता स्व० तखतसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. श्री भगवतसिंह पिता स्व० तखतसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. श्री नाहरसिंह पिता स्व० तखतसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. श्री महेन्द्रसिंह पिता स्व० तखतसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली मे जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. श्रीमती भंवरकुंवर पुत्री स्व० तखतसिंह जी पत्नी धनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी देवड़ो का गुडा, घोड़ाघाटी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
12. श्री प्रतापसिंह पिता मोहब्बतसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सांवरिया का वेला जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. श्री प्रेमसिंह पिता जोधसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. श्री फतहसिंह पिता नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. श्री फूलसिंह पिता सोहनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
16. श्री भेरूसिंह पिता सोहनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

17. श्रीमती मोहनकुंवर पुत्री हरिसिंह जी पत्नी स्व० इन्दरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मनियाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
18. श्री रामसिंह पिता हरिसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावङ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
19. श्री लक्ष्मणसिंह पिता सोहनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
20. श्री स्वरूपसिंह पिता मोहब्बतसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सांवरिया का वेला, जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
21. श्री हमेरसिंह पिता मोहब्बतसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सांवरिया का वेला, जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. श्री हरिसिंह पिता जोधसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) मृतक

22/1 श्री हुकमसिंह पिता हरीसिंह राजपूत निवासी डोली जावड तहसील मावली।

22/2 श्री डुलेसिंह पिता हरीसिंह राजपूत निवासी डोली जावड तहसील मावली।

22/3 कंकुकुंवर पुत्री हरीसिंह राजपूत निवासी डोली जावड तहसील मावली।

22/4 श्री नारायणसिंह पिता हरीसिंह राजपूत निवासी डोली जावड तहसील मावली।

22/5 श्रीमती हन्जाकुंवर पत्नी हरीसिंह राजपूत निवासी डोली जावड तहसील मावली।

23. श्री उदयसिंह पिता रामसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
24. श्रीमती कमला कुंवर पुत्री रामसिंह जी पत्नी रघुनाथसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सविना खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
25. श्री केसरसिंह पिता देवीसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
26. श्रीमती केसरकुंवर पुत्री जुजारसिंह जी पत्नी हीरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सेमा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज०)
27. श्री किशनसिंह पिता जुजारसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
28. श्री डुलेसिंह पिता जुजार सिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
29. श्रीमती दुर्गाकुंवर पुत्री जुजारसिंह जी पत्नी शैलसिंह जी सोलंकी, जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सेमा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज०)
30. श्री छगनसिंह पिता रामसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
31. श्री निर्भयसिंह पिता देवीसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
32. श्रीमती कंकु कुंवर पुत्री मोहब्बतसिंह जी पत्नी नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वांगटो की खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
33. श्रीमती भूरकुंवर पत्नी रामसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
34. श्रीमती भेरूसिंह पिता जुजारसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

35. श्रीमती भंवरकुंवर स्व० भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
36. श्रीमती वसनकुंवर पुत्री भंवरसिंह जी पत्नी प्रतापसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी ढाणा कडिया लोसींग, जिला उदयपुर (राज०)
37. श्रीमती लच्छुकुवर पुत्री भंवरसिंह जी पत्नी जोधसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
38. श्रीमती कंकु कुंवर पुत्री भंवरसिंह जी पत्नी भेरूसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
39. श्रीमती मन्जु कुंवर पत्नी स्व० कल्याणसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
40. श्री नाथुसिंह पिता स्व० कल्याणसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
41. श्री हिम्मतसिंह पिता स्व० कल्याणसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
42. श्रीमती सीमाकुंवर पत्नी स्व० औनारसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
43. श्री शम्भुसिंह पिता स्व० औनारसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
44. श्री शिवसिंह पिता स्व० औनारसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
45. श्री शंकरसिंह पिता स्व० औनारसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
46. श्रीमती भंवरकुंवर पत्नी स्व० इन्दरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
47. श्री रायसिंह पिता स्व० इन्दरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
48. श्रीमती आशाकुंवर पुत्री इन्दरसिंह जी पत्नी महेन्द्रसिंह जी देवड़ा, जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मीठा नीम साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
49. श्री गोवर्धनसिंह पिता स्व० इन्दरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
50. श्रीमती प्रेमकुंवर पत्नी स्व० किशनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
51. श्री हरिसिंह पिता स्व० किशनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
52. श्री विक्रमसिंह पिता स्व० किशनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
53. श्रीमती अनिता कुंवर पुत्री स्व० किशनसिंह जी पत्नी सुरेन्द्रसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मलिदा सेमा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज०)
54. श्री मनोहरसिंह पिता रामसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
55. श्री वदनसिंह पिता जुजारसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

56. श्रीमती सज्जनकुंवर पुत्री रामसिंह जी पत्नी मनोहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी लाल मादकी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
57. श्रीमती सीताकुंवर पत्नी तख्तसिंह जी राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
58. श्रीमती सोसरकुंवर पुत्री रामसिंह जी पत्नी गोपालसिंह जी राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी डोली जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
59. श्री खुमसिंह माता स्व० सरदारकुंवर (पिता भंवरसिंह जी) जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सविना खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
60. श्री दुल्हेसिंह माता स्व० सरदारकुंवर (पिता भंवरसिंह जी) जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सविना खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
61. श्री केशरसिंह माता स्व० सरदारकुंवर (पिता भंवरसिंह जी) जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सविना खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
62. श्री रूपसिंह माता स्व० सरदारकुंवर (पिता भंवरसिंह जी) जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सविना खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
63. श्री रणसिंह माता स्व० सरदारकुंवर (पिता भंवरसिंह जी) जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सविना खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
64. श्री तख्तसिंह माता स्व० सरदारकुंवर (पिता भंवरसिंह जी) जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सविना खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
65. श्री किशनसिंह माता स्व० सरदारकुंवर (पिता भंवरसिंह जी) जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सविना खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
66. श्रीमती राजकुंवर माता स्व० सरदारकुंवर (पिता भंवरसिंह जी) पत्नी डूल्हेसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी तीतरड़ी, जिला उदयपुर (राज०)
67. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
68. पटवारी, पटवार हल्का जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री आशीष शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1,4,6 से 12,15 से 17,19,21,22
3. श्री अर्चना हिंगड, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 31, 50
4. श्री जितेन्द्र लक्षकार, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 13, 18, 20

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 21.02.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा वाडा वावडी पटवार हल्का जावड तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1001, 173, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 425, 426, 427, 428, 430, [illegible] 806, 807, 808, 809, 810, 811, 846, 861, 863, 867, 877, 934, 935, 967, 988, [illegible] किता 46 कुल रकबा 18.3971 हेक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थी के नाम 1/5 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/25 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/60 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 के नाम 1/30 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 के नाम 1/25 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 के नाम 1/30 हिस्सा, विपक्षी सं. 6 के नाम 1/30 हिस्सा, खातेदार तख्तसिंह पिता जोधसिंह राजपूत के नाम 1/30 हिस्सा, विपक्षी संख्या 12 के नाम 1/25 हिस्सा, विपक्षी संख्या 13 के नाम 1/30 हिस्सा, विपक्षी संख्या 14 के नाम 1/5 हिस्सा, विपक्षी संख्या 15 के नाम 1/60 हिस्सा, विपक्षी संख्या 16 के नाम 1/60 हिस्सा, विपक्षी संख्या 17 के नाम 1/15 हिस्सा, विपक्षी संख्या 18 के नाम 1/15 हिस्सा, विपक्षी संख्या 19 के नाम 1/60 हिस्सा, विपक्षी संख्या 20 के नाम 1/25 हिस्सा, विपक्षी संख्या 21 के नाम 1/25 हिस्सा, विपक्षी संख्या 22 के नाम 1/30 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। खातेदार तखतसिंह पिता जोधसिंह राजपूत का निधन हो चुका है जिसके वारिस विपक्षी संख्या 7 से 11 एवं 57 हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 145, 146, 147, 148 किता 4 कुल रकबा 2.8405 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थी के नाम 1/10 हिस्सा, विपक्षी संख्या 23 के नाम 1/56 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/50 हिस्सा, विपक्षी संख्या 24 के नाम 1/56 हिस्सा, विपक्षी संख्या 25 के नाम 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 26 के नाम 1/48 हिस्सा, विपक्षी संख्या 27 के नाम 1/48 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 13/480 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 के नाम 1/70 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 के नाम 1/50 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 के नाम 1/70 हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 के नाम 1/70 हिस्सा, विपक्षी संख्या 28 के नाम 1/48 हिस्सा, विपक्षी संख्या 29 के नाम 1/48 हिस्सा, विपक्षी संख्या 30 के नाम 1/56 हिस्सा, खातेदार नन्दूबाई पत्नी जोधसिंह के नाम 1/70 हिस्सा, विपक्षी संख्या 9 के नाम 1/420 हिस्सा, विपक्षी संख्या 31 के नाम 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 12 के नाम 1/50 हिस्सा, विपक्षी संख्या 13 के नाम 1/70 हिस्सा, विपक्षी संख्या 14 के नाम 1/10 हिस्सा, विपक्षी संख्या 15 के नाम 13/840 हिस्सा, विपक्षी संख्या 8 के नाम 1/420 हिस्सा, विपक्षी संख्या 33 के नाम 1/56 हिस्सा, विपक्षी संख्या 16 के नाम 13/840 हिस्सा, विपक्षी संख्या 34 के नाम 1/48 हिस्सा, विपक्षी संख्या 11 के नाम 1/420 हिस्सा, खातेदार भंवरसिंह पिता वगतसिंह राजपूत के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 54 के नाम 1/56 हिस्सा, विपक्षी संख्या 7 के नाम 1/420 हिस्सा, विपक्षी संख्या 10 के नाम 1/420 हिस्सा, विपक्षी संख्या 17 के नाम 2/105 हिस्सा, विपक्षी संख्या 18 के नाम 2/105 हिस्सा, विपक्षी संख्या 19 के नाम 13/840 हिस्सा, विपक्षी संख्या 55 के नाम 1/48 हिस्सा, विपक्षी संख्या 56 के नाम 1/56 हिस्सा, विपक्षी संख्या 20 के नाम 1/50 हिस्सा, विपक्षी संख्या 57 के नाम 1/420 हिस्सा, विपक्षी संख्या 58 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

1/56 हिस्सा, विपक्षी संख्या 21 के नाम 1/50 हिस्सा, विपक्षी संख्या 22 के नाम 1/70 हिस्सा, खातेदार जोधसिंह पिता चन्दनसिंह राजपूत के नाम 1/10 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज है। खातेदार भंवरसिंह पिता वगतसिंह, जोधसिंह पिता चन्दनसिंह, नन्दूबाई पत्नी जोधसिंह का निधन हो चुका हैं। भंवरसिंह के वारिस विपक्षी संख्या 28 से 31 है, जोधसिंह एवं नन्दबाई के वारिस विपक्षी संख्या 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13, 22, 57 है। परिशिष्ट (स) में वर्णित आराजी नम्बर 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 175, 176, 178, 179, 180 किता 21 कुल रकबा 3.8760 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थी के नाम 1/10 हिस्सा, विपक्षी संख्या 23 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/70 हिस्सा, विपक्षी संख्या 24 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 25 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 26 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 27 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 28 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 29 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 30 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 31 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 12 के नाम 1/70 हिस्सा, विपक्षी संख्या 32 के नाम 1/70 हिस्सा, विपक्षी संख्या 13 के नाम 1/10 हिस्सा, विपक्षी संख्या 14 के नाम 1/10 हिस्सा, विपक्षी संख्या 33 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 34 के नाम 1/32 हिस्सा, खातेदार भंवरसिंह पिता वगतसिंह के नाम 1/32 हिस्सा, हरिसिंह पिता चन्दनसिंह के नाम 1/10 हिस्सा, विपक्षी संख्या 55 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 56 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 10 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 17 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 18 के नाम 1/70 हिस्सा, विपक्षी संख्या 55 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 56 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 20 के नाम 1/70 हिस्सा, विपक्षी संख्या 58 के नाम 1/32 हिस्सा, विपक्षी संख्या 21 के नाम 1/70 हिस्सा, हरिसिंह पिता चन्दनसिंह के नाम 1/10 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज है। खातेदार सरदारकुंवर पुत्री मोहब्बतसिंह का निधन हो चुका हैं। सरदारकुंवर के वारिस विपक्षी संख्या 59 से 66 हैं।

2. यहकि उक्त वर्णित आराजीयात हम सहखातेदारों के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है तथा मौके पर भी हम सहखातेदार के मध्य विधिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नही होने से हम सभी सहखातेदारान सुविधा अनुसार अपने–अपने हिस्से अनुसार उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात रेवेन्यु रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से एवं मौके पर विधिक रूप से विभाजन कि[illegible] नहीं होने से मुझ प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि को काश्त योग्य बनाने हेतु ऋण [illegible] लेने एवं अपने हिस्से की भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

उपजाऊ बनाने, विकास करने, चार दिवारी करने इत्यादि में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और मैं प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि का समुचित ढ़ग से उपयोग उपभोग नही कर पा रहा हूँ। इसलिये उक्त वर्णित आराजीयात का मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 66 के मध्य मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अर्थात अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि की किस्म के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाड़ा कराया जाना आवश्यक हैं। इसलिये मुझ प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

3. यहकि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि वाद वर्णित कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होकर मौके पर विधिक रूप से विभाजन किया नही है जिससे सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से सुविधा अनुसार काश्त करते आ रहे है और मैं प्रार्थी भी सुविधा अनुसार काश्त करता आ रहा हूँ। लेकिन उक्त भूमि का मौके पर विधिक रूप से विभाजन नहीं होने के कारण विपक्षी संख्या 1 से 68 आपस में मिलीभगत कर आये दिन मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई झगडा करते है और मुझ प्रार्थी को अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक नहीं करने देते है तथा मुझ प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि में काश्त करने में भी बाधा उत्पन्न करते है और मुझ प्रार्थी को संयुक्त खाते व कब्जे की कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने एवं संयुक्त खाते व संयुक्त कब्जे की कृषि भूमि के विशेष भू भाग को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीयां देते है और वर्तमान में विशेष भू भाग पर कब्जा कर उस पर निर्माण करवाने पर उतारू हो रहे हैं। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि विपक्षी संख्या 1 से 66 मुझ प्रार्थी को संयुक्त खातेदारी की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य कर उपयोग उपभोग करने देवे, विशेष भू भाग पर कब्जा नही करे, हस्तान्तरण नही करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें, बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें, रेकर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। विपक्षी संख्या 67 व 68 रेवेन्यु रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ प्रार्थी को अतुलनीय एवं अपरिमित क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना सम्भव नही होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

4. यहकि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण क्रमशः दिनांक 25.05.2022 एवं दिनांक 29.12.2022 को पैदा हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 66 ने मुझ प्रार्थी को संयुक्त खाते एवं संयुक्त कब्जे की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा किया और लड़ाई झगड़ा किया तथा विशेष भू भाग पर कब्जा करने एवं विशेष भू भाग को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने धमकीयां दी और समझाईश करने पर भी नहीं माने। जिससे प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
5. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि विपक्षी संख्या 1 से 66 प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट (अ, ब, स) में वर्णित संयुक्त खाते व कब्जे की कृषि भूमि का प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, विशेष भू भाग पर कब्जा नही करे, हस्तान्तरण नही करे, बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। विपक्षी संख्या 67 व 68 रेवेन्यु रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें, किसी प्रकार का परिवर्तन नही करें।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 14, 22/1 से 22/5, 23 से 30, 32 से 49, 51 से 54, 56 से 66 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 1, 4, 6 से 12, 15 से 17, 19, 21, 31, 50, 55 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी सं. 2, 3, 5, 13, 18, 20 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण अपने–अपने पूर्वजो के समय से ही अपने–अपने हक हिस्सों पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते हुए आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण अपने–अपने पूर्वजो के समय से ही अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिसका बंटवारा पूर्व में ही पूर्वजो द्वारा किया जाकर अपना–अपना कब्जा संभला दिया हैं। इसलिए प्रार्थी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमियों में विपक्षीगण भी अपने पूर्वजो के समय से खातेदार होकर अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे हैं। विपक्षीगणों एवं प्रार्थी के मध्य उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों के बाबत् कभी भी कोई भी लडाई झगडा नहीं हुआ है कि प्रार्थी ने अकेले ही सभी विपक्षीगणों को परेशान करने उनके हक अधिकारों में बाधा उत्पन्न करने की नियत से उक्त अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर रचित कर बढा चढा कर प्रस्तुत किया है ताकि विपक्षीगणों को उनके हक अधिकारों से वंचित कर सके। प्रार्थी ने कथन किये है कि विशेष भू भाग पर विपक्षीगण निर्माण करने पर उतारू हो रहे है जबकि वास्तविकता है उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमियों पर किसी प्रकार कोई भी निर्माण कार्य नहीं चल रहा है प्रार्थी स्वयं साक्ष्य से साबित करावें। जहां तक विशेष भू भाग को खुर्द बुर्द या बेचान करने का प्रश्न है तो ऐसा कैसे संभव है प्रार्थी स्वयं साक्ष्य से सिद्ध करावे। जबकि वास्तविकता यह है कि विपक्षीगण उपरोक्त आराजीयात में सह खातेदार है जिससे उनके हक अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से उनके हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। सह काश्तकार होने से प्रार्थी विपक्षीगणों के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है, किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षी के विरूद्व जारी की जाती है तो प्रार्थी के मुकाबले विपक्षीगण को जो अपूरणीय क्षति होगा उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडेगा इसके विपरीत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा एवं अशोधनीय क्षति नहीं होगी। विपक्षीगणों को सह खातेदार होने से उसे उसके विधिक हक अधिकार से नहीं रोका जा सकता है। विपक्षीगण अपने हक हिस्से की कृषि भूमियों के उपयोग उपभोग के लिए स्वतन्त्र है। इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं।

7. यह कि प्रार्थी स्वयं साक्ष्य से सिद्ध करावे उसको दो अलग अलग दिनांकों को दिनांक 25.05.2022 को एवं दिनांक 29.12.2022 को किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र कारण पैदा हुआ। उक्त वर्णित कृषि भूमियों में विपक्षीगण भी सहखातेदार है इसलिए प्रार्थी बंटवारे के नाम विपक्षीगणों को उनके हिस्से एवं हक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता हैं। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र कारण विपक्षी संख्या 1 से 22 तक एवं 1 से 66 तक होने के कथन किये है जिससे भी इनकी नियत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि येनकेन प्रकारेण सभी खातो पर न्यायालय का स्थगन बना रहे ताकि वो अन्य खातेदारों से उनकी जमीने छिन सके।

8. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी माननीय न्यायालय से चाही गई सहायता पाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थी के साथ–साथ विपक्षीगण भी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात कृषि भूमियों में सहखातेदार है उनके हक अधिकार विपक्षीगणों को प्राप्त है विपक्षीगण अपने–अपने हक हिस्सो पर शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है। विशेष भू भाग पर कब्जा करने, विशेष भू भाग हस्तान्तरण [illegible] के अभिवचन मिथ्या एवं मगढन्त हैं। प्रार्थी अकेले ही सम्पूर्ण जमीनों पर किसी भी प्रकार [illegible] रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

कराने का अधिकारी नहीं हैं। संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि में अन्य सहखातेदारों को उनके हक अधिकारों से उन्हे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी का उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सव्यय इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे एवं विपक्षीगणों को बेवजह परेशान करने के प्रार्थी से विशेष खर्चा विपक्षीगणों को दिलाया जावें।

9. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी द्वारा एक वाद बाबत् बंटवाडा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। जो कि विचाराधीन होकर मूल वाद में प्रतिवादीगणो के जवाब में एवं भूमि के क्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी के जवाब में नियत है व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में शेष विपक्षीगणो का जवाब में नियत है। न्यायालय द्वारा शेष विपक्षीगणो के जवाब की स्टेज को बन्द नही किया है। केवल मात्र उक्त प्रकरण में विपक्षी सख्या 02, 03, 05, 13, 18, 20 द्वारा ही अपना जवाब प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण आप न्यायालय में मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 21/06/2022 को आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें तलबी हेतु प्रथम पेशी दिनाक 04/07/2022 को सुनवाई हेतु नियत की गई। उक्त दिनांक को सभी पक्षकारो की ओर से वकालतनामा व अण्डरटेकिंग विपक्षीगणो के अधिवक्ता द्वारा ली गई व प्रार्थना पत्र की स्टेज जवाब में नियत की गई। जिसमें विपक्षीगणो द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश ना कर दिनांक 10/07/2023 को वाद में जवाब की स्टेज पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किया। जिसमें विपक्षीगणो ने बताया की वादी ने उक्त प्रकरण में वाद की कार्यवाही में एक ही खाते का बटवाडा प्रस्तुत किया है जबकि वादी एवं प्रतिवादीगणो के सयुक्त खातेदारी के खाता सख्या 275 एवं 200 के सम्बन्ध में बटवाडा प्रस्तुत नही किया है। सम्पत्ति के विभाजन का सुस्थापित नियम है कि समस्त सम्पत्ति का बंटवाडा एक ही वाद में तय किया जावेगा। वादी ने मात्र एक ही खाते का विभाजन चाहा है। अतः वाद विधितः वर्जित होने के कारण खारिज किया जावे जिस पर मुझ वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया की सेहवन से उक्त दोनो खाते बटवाडे के दावे में रह गये थे जिसमें वादी ने अन्य दो खातो का बटवाडा भी आप माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है व न्यायालय द्वारा बहस सुनकर उक्त प्रार्थना पत्र में निर्णय पारित किया कि अभी दोनो ही वाद में जवाब की स्टेज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. अभी दोनो ही वाद में स्वीकार कर लिया जावेगा तो प्रार्थी को बंटवाडा करवाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा और सह खातेदारों के मध्य विभाजन नहीं हो पायेगा। दोनो ही वाद समान प्रकृति के होने के कारण दोनो अलग अलग कार्यवाही होने से दोहरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 को खारिज कर वादी को संशोधित वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु आदेश दिया जिस पर प्रार्थी द्वारा संशोधित वाद/प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।

10. यह कि संशोधित वाद प्रस्तुत करने से पुनः दोनो नये खातो में दर्ज खातेदार को प्रतिवादी बनाया गया एवं न्यायालय द्वारा पत्रावली तलबी में नियत की गई। उक्त प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण सख्या 2,3,5,13,18,20 की ओर से पत्रावली में जवाब पेश किया। और शेष विपक्षीगणो द्वारा पत्रावली में अपना जवाब पेश किया जाना शेष है। न ही न्यायालय द्वारा उनकी जवाब दावे की स्टेज को बन्द किया है। दोहराने वाद विपक्षी सख्या 02,03,05,14,15,16,17,18,19,20 द्वारा अपनी सम्पुर्ण भुमि में से आराजी विशेष जो की मौके की आराजी है का सम्पुर्ण हिस्से का बिकाव कर दिया जिसका विक्रय पत्र दिनांक 04/12/2023 को निम्न विपक्षीगणो द्वारा निष्पादित करा दिया। जिनके विक्रय पत्र की प्रति वाद में प्रार्थी द्वारा न्यायालय अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गई जिस पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस कर निवेदन किया गया कि निम्नांकित विपक्षीगणो द्वारा उक्त वाद/प्रार्थना पत्र में पक्षकार होते हुए एवं वाद की जानकारी होते हुए उक्त कृषि भूमि का बिकाव कर दिया गया। अगर न्यायालय द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो उक्त कृषि भूमि का निरन्तर हस्तान्तरण होता रहेगा। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा। जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनाक 04/01/2024 को सुनवाई कर विपक्षीगणो के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर राजस्व रिकोर्ड की यथास्थति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया। विपक्षीगणो ने वाद की सुनवाई (पेंडिंग) रहते हुए दोराने वाद उक्त कृषि भूमि का बिकाव किया है जो कानुनन अवैध है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 में निहित है कि किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन हो तो सम्पत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जा सकता जिससे यह स्पष्ट है कि अंतिम अदालती निर्णय सभी पक्षो के लिये बाध्यकारी होगा। मुकदमा बाजी के दोरान विवादित सम्पत्ति अथवा विवादित भूमि की यथास्थति को बनाये रखना होगा। भले ही नये खरीदार को मुकदमें के बारे में जानकारी ना हो इस प्रकार विपक्षी संख्या 02,03,05,14,15,16,18,17,19,20 ने जो हस्तान्तरण दिनाक 04/12/2023 को किया है जो इस अधिनियम के कानुनी प्रावधानो के तहत अवैध है।

11. यह कि विपक्षी सख्या 02,03,05,14,15,16,18,17,19,20 ने वाद के लंम्बित रहते हुए प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की गरज से आराजी विशेष का बेचान किया है। जो कानुनन अवैध है क्योंकि प्रार्थी और विपक्षीगण एक ही परिवार के है और विपक्षीगणों ने उक्त कृषि भूमि के आराजी विशेष का विक्रय किया है अतः इस बारे में माननीय न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा शंकरलाल बनाम् दिलिप कुमार वगैरा आर.एल.डब्यु 2010 (1) राज में यह निर्णित किया की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212, 53, 88, 89, 188 में सह काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अगर विभाजन हेतु वाद लम्बित हो एवं अप्रार्थी द्वारा भूमि विशेष के भाग का विक्रय किया हो या करने पर आमादा हो ऐसी स्थिति में उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से अवरूद किया जा सकता है। Issuance of temporary injection against cotenant - suit for partation is pending - non pititinor intends to sell and dispose part of lend - held if cotenant intents to show his right of any particular part of land he can be restrained by a temporary injection and court is empowered to issue temporary injection. इसी प्रकार राजस्व मन्डल की वृहद पीठ ने 1996 आर.आर.डी पेज 148 देवीलाल बनाम् अन्य में जो कानुन में वर्णित किया है। वो भी इस पर चस्पा होता है कि कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त भी अजनबी क्रेता के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से बेची गई सम्पत्ति में क्रेता द्वारा आप न्यायालय में विक्रय पत्र के आधार पर धारा 151 का प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आवेदन किया जिस पर वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 151 सिविल प्रकिया संहिता का कलम वार जवाब पेश किया परन्तु पुनः क्रेता द्वारा दिनाक 10/02/2025 को उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 में कार्यवाही ना चाहकर उक्त प्रार्थना पत्र को ड्रोप करने का निवेदन किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया व आगामी पेशी दिनाक 17/02/2025 को शेष विपक्षीगणो को जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया। अतः वर्तमान में पत्रावली शेष विपक्षीगणो के जवाब में नियत है।

12. यह कि उक्त प्रकरण में क्रेतागणो द्वारा उक्त प्रकरण में दिनाक 06/12/2024 को पक्षकार बनने हेतु उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया वही वाद में आदेश 01 नियम 10 के तहत पक्षकार बनने हेतु अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि वर्तमान में मूल वाद में पेन्डिंग है। वही धारा 151 का प्रार्थना पत्र जो की प्रार्थना पत्र धारा 212 में क्रेतागणो द्वारा प्रस्तुत किया गया उसको ठीक 1 वर्ष 1 माह बाद आप माननीय न्यायालय में ड्रोप करवाया है। जो संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। जहाँ क्रेता वाद में विक्रय पत्र से पक्षकार बनने की मन्शा रखता है एवं अपने अधिकारो के प्रति सजग है। वही धारा 212 में पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र में कार्यवाही ना चाहकर ड्रोप करवाता है जिससे उसकी स्पष्ट मन्शा है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को एनकेन [illegible] खातेदार की पैरवी के जरिये निर्णित करवाना चाहता है ताकि [illegible] जावे। जबकि मूल खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सख्या 2,3,5,13,18,20 ने मूल वाद में वादी का बंटवाडा स्वीकार कर लिया है। तो अब इन विपक्षीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो इन्हे कोई क्षति नही होंगी बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही जाती तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन असम्भव है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है। वादी/प्रार्थी सद्भावी खातेदार है। वादी/प्रार्थी की मंशा है कि उक्त कृषि भूमि का न्यायालय द्वारा जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक उक्त कृषि भूमि का कोई भी सह काश्तकार हस्तान्तरण एवं बेचान नही करे। न्यायालय द्वारा विधिवत विभाजन होने के उपरान्त सभी काश्तकार अपनी अपनी भूमि का उपयोग उपभोग एवं रहन बेह बक्षीस करने के लिये स्वतन्त्र होगे। अगर न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती तो भूमि न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते हुए आगे से आगे हस्तान्तरण/विक्रय होती रहेगी व वादी का विभाजन का वाद Linger on होता रहेगा।

13. यह कि जब विपक्षी सख्या 02,03,05,13,18,20 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विभाजन के वाद में बंटवाडा स्वीकार कर लिया है। जो की दिनांक 08/01/2025 को न्यायालय की आदेशिका में स्पष्ट रूप से वर्णित एवं हस्ताक्षरित है तो न्यायालय द्वारा बंटवाडे की प्रारम्भिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री बनने तक न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नही होगा। वरन सभी पक्षकार के मध्य सुविधा संतुलन का सामंजस्य बना रहेगा। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगणो को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

14. अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। इस प्रकार प्रार्थी एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार के रूप में काश्तकार हैं। प्रार्थी द्वारा बंटवाड़ा करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रकरण में उभय पक्ष ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

2. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के सहखातेदार प्रार्थी एवं विपक्षीगण है तथा विपक्षीगण के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई घोषणा भी नही चाही गई। इस कारण से खातेदार के विरूद्ध रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा तथा विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी। यहां न्यायालय का यह भी अभिमत है कि बिना बंटवाड़ा करवाए विपक्षीगण बाहुबल से किसी विशेष भू–भाग पर कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य कर लेते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वैसे भी राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय में वर्णित प्रावधानो के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि में कोई भी सहखातेदार किसी विशेष भू–भाग पर निर्माण कार्य नही कर सकता है। अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

3. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है और यदि विपक्षीगण प्रार्थी को मौके से बेदखल कर देते है तो इससे प्रार्थी के कब्जे काश्त में असुविधा होगी। न्यायालय का मानना है कि सहखातेदारी की भूमि में सभी सहखातेदार मौके पर पृथक–पृथक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे होते है। यदि प्रकरण में रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु सहखातेदारों को पाबंद किया जाता है तो खातेदार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने हिस्से भूमि पर लोन, रहन भी नहीं ले सकता हैं तथा ना ही उक्त भूमि का बेचान कर सकता हैं जिससे उसे अपने परिवार के पालना पोषण हेतु काफी असुविधाओं का सामना करना पडेगा। इसलिए रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को पाबंद किया जाना उचित नहीं समझते हैं। प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम वाडा वावडी पटवार हल्का जावड तहसील थामला की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 273 पर दर्ज आराजी नम्बर 1001, 173, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 425, 426, 427, 428, 430, 53, 60, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 846, 861, 863, 867, 877, 934, 935, 967, 988, 994 किता 46 कुल रकबा 18.3971 हैक्टेयर, खाता संख्या 211 पर दर्ज आराजी नम्बर 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 175, 176, 178, 179, 180 किता 15 कुल रकबा 3.8769 हैक्टेयर एवं खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 275 पर दर्ज आराजी नम्बर 145, 146, 147, 148 किता 4 कुल रकबा 2.8408 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। विपक्षीगण के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई घोषणा भी नही चाही गई। इस कारण से खातेदार के विरूद्ध रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा तथा विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी। यहां न्यायालय का यह भी अभिमत है कि बिना बंटवाड़ा करवाए विपक्षीगण बाहुबल से किसी विशेष भू–भाग पर कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य कर लेते है या प्रार्थी को बेदखल कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। विपक्षीगण को केवल मात्र मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण का किसी प्रकार से कोई हित प्रभावित नही होगा। न्यायालय का मानना है कि सहखातेदारी की भूमि में सभी सहखातेदार मौके पर पृथक–पृथक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे होते है। यदि प्रकरण में रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु सहखातेदारों को पाबंद किया जाता है तो खातेदार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने हिस्से भूमि पर लोन, रहन भी नहीं ले सकते हैं जिससे उसे अपने परिवार के पालना पोषण हेतु काफी असुविधाओं का सामना करना पडेगा। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किये गये है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रिकॉर्ड की यथास्थित जारी की जाती है तो विपक्षीगण के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा तथा वादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाए रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जाती है तो प्रार्थी के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.01.2024 को वादग्रस्त भूमि की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने की जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाया जाकर मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम वाडा वावडी पटवार हल्का जावड तहसील थामला की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 273 पर दर्ज आराजी नम्बर 1001, 173, 18[illegible], [illegible], 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 2[illegible], 201, 202, 203, 425, 426, 427, 428,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested

430, 53, 60, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 846, 861, 863, 867, 877, 934, 935, 967, 988, 994 किता 46 कुल रकबा 18.3971 हैक्टेयर, खाता संख्या 211 पर दर्ज आराजी नम्बर 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 175, 176, 177, 178, 179, 180 किता 21 कुल रकबा 3.8769 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 275 पर दर्ज आराजी नम्बर 145, 146, 147, 148 किता 4 कुल रकबा 2.8408 हैक्टेयर भूमि पर **न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.01.2024 को जारी रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजीयात की मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा कोई पक्का निर्माण कार्य नही करें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:29 IST
Reason: SelfAttested